भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2635
उत्तर देने की तारीख 17.03.2025

आदिवासी जीवन सभागार

2635. श्री सौमित्र खान :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के बिष्णुपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासी रीति-रिवाजों, परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं, रीति-रिवाजों और अन्य प्रतीकों के संरक्षण के लिए आदिवासी जीवन सभागार उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): पश्चिम बंगाल राज्य के बिष्णुपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासी जीवन सभागार उपलब्ध कराने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, राज्य सरकार अनुच्छेद 275 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय को सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता वाली परियोजना अनुमोदन समिति के विचारार्थ प्रस्ताव भेज सकती है जिसके पश्चात राज्य को अनुदान प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय 'टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम (टीसीसी स्कीम)' नामक स्कीम का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य एनजीओ, ट्रस्ट, सोसायटी, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों/निकायों, नगर निगमों आदि को मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रूम आदि के लिए सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम

मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रवींद्र भवन, रंगशालाएं, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर) आदि के जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, विस्तार, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत 15.00 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।

*****